न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन, बॉसगॉव–गोरखपुर।

मूलवाद संख्या– 162/1976

रामधारी ––बनाम––––––––रामगुलाम

दिनांक 12.10.2022:–

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभयपक्ष जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र दिनांकित 06.02.2018 अन्तर्गत आदेश 22 नियम–3 नियत है। प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी रामधारी की दिनांक 09.11.2017 को मृत्यु हो जाने के कारण अर्जीदावा के उन्मान में उसके नाम के आगे शब्द 'मृतक' दर्ज कर 1/1– रामप्रसाद वालिग उम्र–लगभग 46 पुत्र स्वर्गीय रामधारी, 1/2– मोना देवी वालिग उम्र–लगभग 75 वर्ष बेवा रामधारी पता मजकूर दर्ज किया जाए। वाद–पत्र की धारा–4 के बाद एक नयी धारा– 4अ जोड़े जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ–पत्र 23ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही कोई नया केस सेटअप हो रहा है। प्रस्तावित वारिसान जरिए वकालतन हाजिर अदालत हैं। वाद की बहुलता से बचने हेतु तथा विधिनुसार उचित न्याय–निर्णय हेतु प्रस्तावित वारिसान को प्रतिष्ठापित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र दिनांकित 06.02.2018 अन्तर्गत आदेश–22 नियम–3 स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर सप्ताह हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20.10.2022 को पेश हो।

––सिविल जज, जू0डि0, बॉसगॉव
गोरखपुर।